[29/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 1486]

परिशिष्ट प्रपत्र–01

विधान सभा सत्र जुलाई 2022

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक –1486

प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम – श्री बहादुर सिंह चौहान

बैठक दिनांक –29.07.2022

प्रश्नांश "क" की जानकारी

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1486 की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं से संबंधित प्रश्नांश (क) की जानकारी

प्रदर्श –01

क्र.	संस्था का नाम	संस्था के पास भूमि/भूखण्ड का रकबा	रिमार्क
1	2	3	6
1	शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	5.016 हेक्टेयर	कार्यशील
2	मंगलम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	निरंक	परिसमापनाधीन
3	बी सी आई स्टाफ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	निरंक	परिसमापनाधीन
4	बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	निरंक	परिसमापनाधीन

उप आयुक्त,सहकारिता
जिला उज्जैन

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता,मध्यप्रदेश

परिशिष्ट प्रपत्र–02

विधान सभा सत्र जुलाई 2022

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक –1486

प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम – श्री बहादुर सिंह चौहान

बैठक दिनांक –29.07.2022

प्रश्नांश "ख" की जानकारी

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1486 की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की प्रश्नांश (ख) की जानकारी

प्रदर्श –02

क्र.	संस्था का नाम	संस्था के पास भूमि / भूखण्ड का रकबा (हेक्टेयर)	संस्था की भूमि का स्थान	भूमि / भूखण्ड का क्रय दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	0.209 0.627 1.045 1.045 0.314 0.752 0.209 0.209 0.606	पाडल्याकला पाडल्याकला पाडल्याकला पाडल्याकला पाडल्याकला पाडल्याकला पाडल्याकला पाडल्याकला पाडल्याकला	19.12.89 21.12.88 9.01.89 9.02.89 13.02.89 8.11.88 24.10.91 20.10.91 15.06.90	कार्यशील
	कुल भूमि	**5.016**			
2	मगलम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	निरंक	निरंक	निरंक	परिसमापनाधीन
3	बी सी आई स्टाफ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	निरंक	निरंक	निरंक	परिसमापनाधीन
4	बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	निरंक	निरंक	निरंक	परिसमापनाधीन

उप आयुक्त,सहकारिता
जिला उज्जैन

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता,मध्यप्रदेश

परिशिष्ट प्रपत्र–03

विधान सभा सत्र जुलाई 2022

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक –1486

प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम – श्री बहादुर सिंह चौहान

बैठक दिनांक –29.07.2022

प्रश्नांश ''ग'' की जानकारी

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1486 की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की प्रश्नांश (ग) एवं (घ) की जानकारी

प्रदर्श –03

क्र.	संस्था का नाम	संस्था से प्राप्त जानकारी
1	शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	संस्था से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा सदस्यों से भूखण्ड पेटे अमानत ,विकास कार्य एवं अग्रिम के रूप में राशि प्राप्त की जाकर भूमि क्रय की गयी थी। संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के द्वारा भूमि का संस्था के पक्ष में समय–समय पर नामांतरण हुआ लेकिन कुछ भूमि संयुक्त खाते में दर्ज रह गयी। संस्था की भूमि दर्ज के समय भू अभिलेख में कम्प्युटर द्वारा त्रुटि होने के कारण तहसीलदार नागदा द्वारा सन 2018 में संयुक्त खाते का बंटवारा संस्था के पक्ष में दर्ज करने का आवेदन निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी तहसील नागदा द्वारा दिनांक 31.08.2020 को त्रुटि सुधार का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात जून 2022 में तहसीलदार नागदा द्वारा संस्था की भूमि को संयुक्त खाते से अलग करके समस्त क्रय की गयी कृषि भूमि भू–अभिलेख में दर्ज की गयी । वर्तमान मे संस्था की भूमि गैर आवासीय कृषि भूमि होकर अविकसित है। संस्था के सदस्यों द्वारा भूमि के लेआउट स्वीकृति एवं विकास कार्य में रूचि नहीं ली गयी एवं सदस्यों द्वारा संस्था मे जमा राशि की मांग की गयी। संस्था के पास कोई तरल कार्यशील पूंजी नहीं होने से सदस्यों की जमा राशि वापस नही की जा सकी। सदस्यो की भूखण्ड लेने में रूचि नही होने के कारण संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न आमसभाओं में संस्था की अविकसित कृषि भूमि को विक्रय की जाकर सदस्यों को उनकी जमा राशि वापस करने के संबंध में निर्णय लिये गये। संस्था द्वारा आम सभा में लिए गये निर्णय अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
2	मंगलम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	मंगलम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा अक्रियाशील होने के कारण परिसमापन में लाया गया। संस्था के द्वारा भूमि/भूखण्ड क्रय नहीं करने से सदस्यो को भूखण्ड प्रदान नहीं किये गये। संस्था के सदस्यों को आवास संघ भोपाल के द्वारा संस्था के माध्यम से ऋण प्रदान किया गया है।
3	बी सी आई स्टाफ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	बी सी आई स्टॉफ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा अक्रियाशील होने के कारण परिसमापन में लाया गया। संस्था के द्वारा भूमि/भूखण्ड क्रय नहीं करने से सदस्यो को भूखण्ड प्रदान नहीं किये गये। संस्था के आडिट नोट वर्ष 2020–21 के अनुसार. सदस्यों की भूखण्ड पेटे अमानत राशि जमा है। उक्त संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था के समस्त सदस्यों के सूचनार्थ दिनांक 03.01.2020 को संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियो के निराकरण हेतु म.प्र. राजपत्र में सूचना का प्रकाशन कराया गया है परन्तु संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा जमा राशि की वापसी हेतु परिसमापक से संपर्क नहीं किया है। संस्था सदस्यों के द्वारा परिसमापक से नियमानुसार राशि वापस लेने की की कार्यवाही की जा सकती है।
4	बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा	बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नागदा के द्वारा कोई भूमि क्रय नहीं की गयी है, संस्था अक्रियाशील होने के कारण इन संस्थाओं को परिसमापन मे लाया गया है। संस्था के सदस्यों से भूखण्ड आवंटन हेतु कोई अमानत राशि प्राप्त नही है।

उप आयुक्त,सहकारिता
जिला उज्जैन

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता,मध्यप्रदेश